राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक-प0 9(30)राज./6/2005/1 जयपुर,दिनांक:-04.01.2006

1. संभागीय आयुक्त,उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर।
2. जिला कलेक्टर,उदयपुर,बांसवाडा,डूंगरपुर, सिरोही,बारां,चित्तौडगढ, जैसलमेर,बीकानेर,हनुमानगढ,श्रीगंगानगर।

::परिपत्र::

विषय:-टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में विशेष अभियान के संबंध में।

राज्यसरकार द्वारा उदयपुर, बांसवाडा, डूगरपुर, सिरोही, बारां एवं चित्तौडगढ जिलों में टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में तथा जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों में (उपनिवेशन क्षेत्रों को छोडकर) राजस्व भूमियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 21.01.2006 से 28.02.06 तक विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगें तथा प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार तक नियमित रूप से छ: दिन कार्य किया जावेगा। भूमि आवंटन/नियमन संबंधी कार्यो हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उसी पंचायत मुख्यालय पर आयोजित की जावेगी। जहां शिविर स्थल होगा तथा आवंटन योग्य भूमि उसी पंचायत के गांव में स्थित होगी। इसका कार्यक्रम शिविर प्रभारी द्वारा जारी किया जावेगा। क्योंकि यह अभियान जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाकर जनता को लाभ पहुंचाया जायेगा।

टीएसपी एवं सहरिया क्षेत्रों में विशेष अभियान में राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में जिला कलेक्टर, संबंधित अधिकारियों की टीम का गठन करेंगें तथा जिला कलेक्टर स्वयं जन समस्याओं के समाधान के लिये मौके पर कुशल नेतृत्व प्रदान करेंगें, जिससे जनसमस्याओं का गुणात्मक रूप से हल किया जाकर जनता को लाभान्वित किया जा सके।

शिविरों की पूर्व तैयारी:-अभियान क्षेत्रों में लगने वाले शिविरों की पूर्व तैयारी की जावेगी। जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों की शिविर आयोजन करने से पूर्व एक बैठक आयोजित की जावेगी तथा पूरे शिविरों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाकर शिविरों की तारीखें एवं शिविर प्रभारी तय किये जायेंगें। विभिन्न प्रकार के प्रार्थना-पत्रों की तैयारी अभियान से पूर्व ही संबंधित शिविर प्रभारी कर लेवे ताकि शिविरों में अनावश्यक परेशानी न होवे। शिविरों में भाग लेने वालों से संबंधित प्रार्थना-पत्र फार्म आदि का मुद्रण जिला स्तर पर करा लिया जावे तथा यह भी सुनिश्चित् किया जावे कि अभियान क्षेत्र में कियान्वित की जा रही योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार किया जावे। इसके लिये जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित् करेंगें कि प्रचार प्रसार सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हे। इस अभियान में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जायेगा तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी।

शिविरों का प्रचार प्रसार एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग:-शिविर आयोजन करने के लिये स्थान व दिनांक का पूर्व में चयन व निर्धारण कर दिया जावे तथा शिविरों का प्रचार प्रसार उपलब्ध प्रचार माध्यमों से किया जावे। इन शिविरों की पूर्ण जानकारी माननीय सांसद, विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों एवं सरपंचों व अन्य जनप्रतिनिधियों को दी जावे। यह भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त जनप्रतिनिधिगण से अभियान क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में सहयोग प्राप्त होगा।

शिविर प्रभारी:-सामान्यतया भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी शिविर प्रभारी होंगे। तथा किये जा रहे कार्यो का समन्वय शिविर प्रभारी द्वारा किया जायेगा। शिविर में राजस्व अधिकारी/कर्मचारी शिविर में भाग लेंगे।

(2)